कार्यपूर्ति – दिग्दर्शिका

आय–व्ययक

2016-2017

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

मछली एक सुपाच्य एवं पौष्टिक मांसाहार है जिसमे औषधीय तत्व प्रचुर मात्रा मे पाये जाते हैं। वर्तमान जीवन शैली में भागमभाग एवं तनाव के कारण मानव शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन एवं अन्य खनिज पदार्थो की भोजन के रूप में आवश्यकता होती है जो मछलियों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। इसी कारण मछली की आहार के रूप में लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन विद्यमान हैं जिनके विवेकपूर्ण उपयोग से प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दीर्घकालीन मत्स्य नीति के रूप में उत्तर प्रदेश फिशरीज विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हुये उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन का संकल्प लिया गया है। प्रदेश में मत्स्य सेक्टर के विकास से व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे साथ ही मत्स्य उत्पाद के रूप में प्रोटीनयुक्त सुपाच्य आहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुये इस सेक्टर के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिनमें केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य पोषित योजनायें सम्मिलित हैं। इन विकासपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से एक ओर जहॉ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी वहीं आजीविका हेतु मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर गरीब मछुआ परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता के अनुरूप मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को संचालित कर रहा है जिनमें मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जलप्लावित क्षेत्र में मत्स्य विकास एवं मत्स्य विविधीकरण के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजड़ो में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों / व्यवसाइयों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मोबाईल फिश पार्लर एवं झींगा पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड के अंतर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के माध्यम से कौशल विकास, निजी क्षेत्र में फिश फीड मिलों की स्थापना, रंगीन सजावटी मछलियों का उत्पादन एवं विक्रय तथा मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवास विहीन मछुआ परिवारों को राज्य सरकार लोहिया आवास की दरों की भॉति आवास की सुविधा उपलब्ध करा रही है और मत्स्य पालकों को निःशुल्क दुघर्टना बीमा योजना से आच्छादित कर आकस्मिकता की स्थिति में उनके हितों का प्रयास सुनिश्चित किया गया है।

योजनाओं के संचालन से संबंधित मत्स्य विभाग की प्रथम कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका आय–व्ययक वर्ष 1974–1975 में प्रस्तुत की गयी थी। तत्पश्चात उसे निरन्तर प्रस्तुत करते हुये वर्तमान कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका द्वारा वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये आशा की जाती है कि प्रदिष्ट धनराशि पर अपेक्षित नियंत्रण रखने तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की दिशा में प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका आय–व्ययक (परफारमेंस बजट) उपयोगी सिद्ध होगा।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव, मत्स्य
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रथम भाग		
1.	भूमिका	
2.	विभाग के मूल उद्देश्य एंव कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति	1–8
द्वितीय भाग		
3.	वित्तीय आवश्यकताओं की तालिका	09
(क)	कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण तालिका – ''क''	10
(ख)	उद्देश्य वार वर्गीकरण तालिका– ''ख''	11–12
(ग)	वित्तीय साधनों का स्रोत तालिका – ''ग''	13
4.	योजनावार व्यय तथा आय–व्ययक अनुमान का विवरण तालिका – ''अ''	14
तृतीय भाग		
5.	वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण	15–16
	(क) आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाएं	
	(ख) आयोजनागत योजनाएं	17–20
6.	योजनावार गत तीन वर्षो का परिव्यय एवं व्यय का विवरण (तालिका ब)	21
7.	मत्स्य विभाग का वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 व वर्ष 2015–16 का वैयक्तिक सारांश–परिशिष्ट– ''1''	22
8.	मत्स्य विभाग का प्रशासनिक ढ़ांचा– परिशिष्ट –'2' '3'	23–24

प्रथम भाग

भूमिका :

पौष्टिक खाद्य पदार्थो की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है । प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/ जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है, तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मत्स्य विकास कार्यो को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ0प्र0 मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया । मत्स्य विकास कार्यो को छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना के बाद विशेष गतिमयता प्राप्त हुयी। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा 09 बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबो के सुधार/नये तालाबो के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा सतत् रूप से प्रदान की जा रही है । मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु निजी क्षेत्र में हैचरियों की स्थापना, मछुआ समुदाय के कल्याण हेतु सहकारी समितियों का गठन, सक्रिय मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा से आच्छादन, आश्रय विहीन मछुआ परिवारों के लिए मछुआ आवासों की सुविधा तथा मत्स्य पालकों के तालाबों की मिट्टी एवं पानी की निःशुल्क जॉच आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है

2– विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगतिः–

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वःरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं । इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं ।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :—

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र(लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा प्रगति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :—

2.1— ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा:—

प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास का विस्तारीकरण एवं प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में निहित तालाब, पोखरों को 10 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कराकर इन तालाबों के सुधार (गहरा करने, बन्धों के निर्माण तथा जल आवागमन/ जलनिकास द्वार के निर्माण) तथा प्रथम वर्ष में उत्पादन निवेशों यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार, उर्वरक इत्यादि के लिए क्रमशः रू0 75000/— तथा रू0 50000/— प्रति हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन स्वरूप सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण व प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों के लिए क्रमशः रू0 3.00 लाख एवं रू0 0.50 लाख/हेक्टेयर की दर से बैंक ऋण तथा प्रोत्साहन स्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत एवं अन्य लाभार्थियों को 20 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, यह सुविधा अधिकतम 5.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज की आपूर्ति, तालाबों के जलमृदा नमूनों की निःशुल्क जॉच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल तक मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में निहित 1.20 लाख हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप तालाबों की औसत मत्स्य उत्पादकता, जो अभिकरणों की स्थापना के पूर्व 600 कि0ग्रा0 / हेक्टेयर / वर्ष थी, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष 2014—15 तक 4140 कि0ग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक बढ़ाया जा चुका है, जिसे वर्ष 2015—16 में बढ़ाकर 4200 कि0ग्रा0/ हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक पहुंचाने की सम्भावना है। वर्ष 2016—17 में मत्स्य उत्पादकता 4500 कि0ग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रदेश में मत्स्य पालन कार्यक्रम से जुड़े मत्स्य पालकों विशेषतः मछुवारों की आय में अतिरिक्त वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2011—12 से मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में जन सामान्य को पैकिंग सहित स्वच्छ मछली तथा मछली से तैयार विविध व्यंजनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मोबाईल फिश पार्लर (सचल मत्स्य एवं मत्स्य व्यंजन बिक्री केन्द्र) की स्थापना करायी जा रही है। इस योजना की इकाई लागत रू0 5.50 लाख के सापेक्ष्य चयनित लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप 30 प्रतिशत अर्थात रू0 1.65 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से शासकीय अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार जन सामान्य में महाझींगा की बढ़ती मॉग की पूर्ति के दृष्टिगत झींगा पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन स्वरूप झींगा के बीज तथा पूरक आहार की लागत के सापेक्ष्य 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त कृषि हेतु अनुपयुक्त जलप्लावित भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित करने हेतु निर्धारित इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष्य सामान्य वर्ग को 80 प्रतिशत तथा अनु0जाति/ अनु0जन जाति को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण, सतत् मत्स्य पालन, राज्यस्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण एवं जनजागृति के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2.2— मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरणः—

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है । मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 48 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 218 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है । निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रू0 12.00 लाख इकाई लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात रू0 6,00,000/— अनुदान व बैंक ऋण की सुविधा अनुमन्य है तथा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। विगत तीन वर्षो में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :—

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)		अंगुलिका/मत्स्यबीज संचय संख्या(लाख में)		मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2012—13	15309.00	15322.02	691.20	629.10	16000.20	15951.12
2013—14	15709.00	15652.87	691.00	724.76	16400.00	16377.63
2014—15	16589.00	15964.75	761.20	650.66	17350.20	16615.41
2015—16 (जनवरी, 2016तक)	18089.00	17017.34	761.20	617.65	18850.20	17634.99

2.3— जलाशयों में मत्स्य विकासः—

मत्स्य विकास व मत्स्य आखेट की दृष्टि से विभागीय जलाशयों को 4 श्रेणीं में विभक्त किया गया है तथा उन्हें विभिन्न अवधि हेतु नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। मत्स्य विभाग, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के प्रबंधन के अन्तर्गत श्रेणी 1 एवं 2 के जलाशय तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा श्रेणी 3 व 4 के जलाशय पॉच वर्ष की अवधि के लिए निस्तारित किये जाते हैं । श्रेणी 1 व 2 के जलाशयों का ठेका उच्चतम निविदा अथवा नीलामी बोली पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ठेकेदार को टेण्डर सह निलामी पद्धति पर दिये जाने की व्यवस्था है । श्रेणी 3 व 4 के जलाशयों की नीलामी की प्रक्रिया के प्रथम चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य नीलाम किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ—साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम बोली बोलने वाले को ठेका दिये जाने की व्यवस्था है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 358 जलाशय उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था में 25 जलाशय तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ की प्रबन्ध व्यवस्था में 09 जलाशय है।

2.4— मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम :—

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एंव आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रदेश में 1048 प्राथमिक समितियां, 21 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु /स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में 1,93,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है तथा वर्ष 2016—17 में कुल 2,00,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को लोहिया आवास की दर पर प्रति आवास रूपये 3.05 लाख की सुविधा अनुमन्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2014—15 तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं। वर्ष 2015—16 में 750 मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। वर्ष 2015—16 के 750 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश न प्राप्त होने के कारण इसे अन्य संसाधनों से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016—17 में मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 1000.00 लाख का आय—व्ययक प्रस्तावित है ।

2.5— मत्स्य उत्पादनः—

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त श्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मीं0 टन के स्तर तक पहुॅच चुका है। इस स्तर को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के चतुर्थ वर्ष 2015—16 में 5.64 लाख मी0 टन उत्पादन प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है तथा वर्ष 2016—17 मे 6.50 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुचाया जाना प्रस्तावित है।

3— मत्स्य पालक विकास अभिकरण (जिला योजना):—

प्रदेश में मत्स्य विकास के कार्यान्वयन में "मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना" की प्रमुख भूमिका है । इसके अन्तर्गत मत्स्य पालकों को पट्टे पर आवंटित सामुदायिक तालाबों के सुधार एवं निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंक ऋण तथा स्वीकृत ऋृण पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत अनुदान सुलभ कराये जाने की व्यवस्था है। अभिकरण के माध्यम से मत्स्य पालकों को सुलभ करायी जाने वाली सुविधायें निम्नवत हैं :—

3.1— तालाब सुधार/ निर्माण की सुविधा :—

तालाबों को वैज्ञानिक ढ़ंग से मछली पालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए तालाबों के सुधार हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर बैंकों से ऋण प्राप्त कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जाता है । बैंकों से तालाब सुधार हेतु रू0 75,000 प्रति हेक्टेयर व प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु रू0 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराकर, उन्हें वितरित ऋण पर अनुदान सुलभ कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015—16 में माह— जनवरी, 2016 तक 4391.81 हेक्टेयर के कुल 4419 तालाबों के सुधार हेतु ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित कर 2279 तालाबों, जलक्षेत्र 2307.69 हे0 के सुधार/इनपुट हेतु रूपये 2914.37 लाख का बैंक ऋण स्वीकृत कराया गया है। वर्ष 2016—17 में कुल 5000 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाबों के सुधार/ नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंक ऋण अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 200.00 करोड़ मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 की भौतिक प्रगति तथा वर्ष 2016—17 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण तालिका में अंकित है।

क्र0 सं	मद इकाई	वर्ष 2013—14		वर्ष 2014—15		वर्ष 2015—16		वर्ष 2016—17
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी 16)	प्रस्तावित लक्ष्य
1.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैंकों को प्रेषित प्रस्ताव अ— संख्या ब— क्षेत्रफल (हे0)में स— धनराशि (लाख रू)	5000	5154 5134.77 6144.84	5000	5419 5162.86 6022.34	5000	4419 4391.81 5591.87	5000
2.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैंकों से स्वीकृत प्रस्ताव अ— संख्या ब— क्षेत्रफल (हे0)में धनराशि (लाख रू0 में)	5000	3679 3730.90 4025.92	5000	3672 3738.68 4142.67	5000	2279. 2307.69 2914.37	5000
3.	सुधारे गये तालाबों में मत्स्य बीज का वितरण (लाख में)	15709	15652.87	16589.	15964.75	18089	17017.34	20000.00
4.	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण संख्या (सभी योजनाओं में)	5000	—	—		—	—	—

4– मत्स्य बीज उत्पादन :–

मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज पर निर्भर है। मत्स्य बीज उत्पादन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा 9 बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया है तथा मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत 48 विभागीय प्रक्षेत्र/हैचरियॉ स्थापित है। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैंक ऋण/पूंजी निवेश से कुल 218 मिनी हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके फलस्वरुप वर्ष 2014–15 में सभी स्रोतों से कुल 16615.41 लाख मत्स्य बीज तथा वर्ष 2015–16 में, वार्षिक लक्ष्य 18850.20 लाख के सापेक्ष्य 17634.99 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन माह जनवरी, 2016 तक सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 20000.00 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

5– मत्स्य बीज वितरण एवं संचय :–

मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है । मत्स्य बीज वितरण की व्यवस्था जिला स्तरीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2014–15 में 15964.75 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया तथा वर्ष 2015–16 माह जनवरी, 2016 तक वार्षिक लक्ष्य 18089.00 लाख के सापेक्ष्य 17017.34 लाख मत्स्य बीज का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2016–17 में 20000.00 लाख मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 650.66 लाख तथा वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक 617. 65 लाख मत्स्य बीज का संचय कराया गया है। वर्ष 2016–17 में 761.20 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

6– मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन :–

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक, एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढ़ांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ गठित की गई हैं। वर्तमान में 1048 प्राइमरी समितियॉ, 21 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत है।

6.1– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना :–

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ की गयी है । वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रू0 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अंपग होने की दशा में रू0 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 20.34 (रू0 10.17 भारत सरकार व रू0 10.17 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्ष 2015–16 में कुल 193,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 110 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 51.67 लाख एवं 05 अपंग सदस्यों को रू0 0.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आच्छादित 05 परिवारों को रू0 एक–एक लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

6.2– मछुआ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :–

मछुआ समितियों के पदाधिकारियों की शैक्षिक योग्यता प्रायः कम होने के कारण समितियों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके निवारण हेतु उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।

7– मछुआ आवासो का निर्माण :–

भारत सरकार के राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से संचालित मछुआ आवासों के निर्माण की योजनान्तर्गत योजनारम्भ से वर्ष 2014–15 तक 23585 मछुआ परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्ष 2015–16 में 750 मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। वर्ष 2015–16 के 750 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश न प्राप्त होने के कारण इसे अन्य संसाधनों से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में शत प्रतिशत राज्य पोषित मछुआ आवासों के निर्माण की योजना हेतु रू0 1000.00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है ।

8– ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति :– मत्स्य विभाग में डाटा बेस योजनान्तर्गत समस्त जनपदीय कार्यालयों एवं मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटर स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित समस्त कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर 18001805661 की सुविधा भी दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट **http://fisheries.up.nic.in** विकसित करायी गयी है व आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत तालाबों का डाटाबेस हेतु **http://www.upfisheries.com** वेबसाईट भी विकसित है। सभी जनपदों एवं मण्डलों से E-mail व एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचनाये प्राप्त करने व भेजने की भी सुविधा है।

9– भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :–

भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित विभाग में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2015–16 की स्थिति के अनुसार विभाग में 14 प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं जिसमे 06 प्रकरणों में जॉच आख्या प्राप्त हो चुकी है। शेष 08 प्रकरणों में जॉच की कार्यवाही प्रगति पर है।

10– रोजगार सृजन :–

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना एवं मत्स्य सहकारिता विपणन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 60000 रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्व 64546 रोजगार सृजन कराया गया है तथा वर्ष 2015–16 में भी 60,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन लक्ष्य के विरूद्ध जनवरी, 2016 तक 31012 रोजगार सृजन कराया गया। वर्ष 2016–17 में भी 60,000 व्यक्तियों को (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

11– लेखा परीक्षा एवं उससे संबंधित लेखा आपत्तियों के संदर्भ में कृत कार्यवाही :–

वर्ष 2015–16 माह जनवरी, 2016 तक की विभागीय लम्बित आडिट प्रस्तरों की संख्या 8019 हैं । इनके निस्तारण की कार्यवाही आंतरिक लेखा परीक्षा समिति व आंतरिक लेखा परीक्षा उप समिति के स्तर से की जा रही है।

द्वितीय भाग

वित्तीय आवश्यकताओं की तालिका

प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत निम्न तालिकायें संलग्न की जा रहीं हैं:–

1. तालिका ''क'' कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण ।

2. तालिका ''ख'' उद्देश्यवार वर्गीकरण ।

3. तालिका ''ग'' वित्तीय साधनों के स्रोत ।

4. तालिका ''अ'' पर आयोजनागत वर्ष 2014–15 का वास्तविक व्यय, वर्ष 2015–16 का बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित बजट अनुमान ।

तालिका (क)

वित्तीय आवश्यकताएं कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2014–15			आय व्ययक अनुमान 2015–16			पुनरीक्षित अनुमान 2015–16			आय व्ययक अनुमान 2016–17		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	001. निदेशन तथा प्रशासन	—	766.89	766.89	—	1082.20	1082.20	—	990.60	990.60	—	1113.45	1113.45
2.	101.अर्न्तदेशीय मछली पालन	412.77	—	412.77	372.37	—	372.37	372.37	—	372.37	559.87	—	559.87
3.	109.विस्तार तथा प्रशिक्षण	—	—	—	—	0.01	0.01	—	0.01	0.01	—	0.01	0.01
4.	190.सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	266.67	449.32	715.99	1000.00	520.00	1520.00	1000.00	520.00	1520.00	600.00	535.00	1135.00
5.	800.अन्य व्यय	1996.33	3370.45	5366.78	2572.59	4685.41	7258.00	2764.40	4242.04	7006.44	1136.09	5150.58	6286.67
	कुल योग मतदेय	**2675.77**	**4586.66**	**7262.43**	**3944.96**	**6287.62**	**10232.58**	**4136.77**	**5752.65**	**9889.42**	**2295.96**	**6799.04**	**9095.00**
	भारित	—	—	—	—	**4.50**	**4.50**	—	**4.50**	**4.50**	—	**4.50**	**4.50**

तालिका (ख)

उद्देश्यवार वर्गीकरण (रू0 लाख में)

कोड	मदें	वास्तविक व्यय 2014—15			आय व्ययक अनुमान 2015—16			पुनरीक्षित अनुमान 2015—16			आय व्ययक अनुमान 2016—17		
सं0		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	वेतन	5.36	1867.88	1873.24	10.03	2378.00	2388.03	9.03	2140.20	2149.23	12.00	2437.33	2449.33
02	मजदूरी	—	0.99	0.99	67.99	0.70	68.69	67.99	0.70	68.69	78.19	0.65	78.84
03	मंहगाई भत्ता	5.74	1890.15	1895.89	12.04	2853.60	2865.64	10.75	2546.84	2557.59	16.32	3314.77	3331.09
04	यात्रा व्यय	—	17.43	17.43	—	17.50	17.50	—	18.50	18.50	2.00	17.25	19.25
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	—	4.12	4.12	—	3.90	3.90	—	3.90	3.90	—	2.90	2.90
06	अन्य भत्ते	0.73	169.90	170.63	1.45	237.70	239.15	1.45	237.70	239.15	3.00	243.72	246.72
07	मानदेय	—	—	—	—	—	—	—	3.60	3.60	—	3.60	3.60
08	कार्यालय व्यय	0.28	11.11	11.39	—	9.90	9.90	—	11.25	11.25	3.00	9.65	12.65
09	विद्युत देय	—	14.03	14.03	11.54	39.50	51.04	11.54	39.50	51.04	11.54	39.50	51.04
10	जलकर/ जल प्रभार	—	16.46	16.46	—	5.00	5.00	—	5.00	5.00	—	5.00	5.00
11	लेखनसामग्री	—	5.73	5.73	—	4.80	4.80	—	4.80	4.80	—	4.55	4.55
12	कार्यालय फर्नीचर /उपकरण	—	2.24	2.24	—	2.05	2.05	—	2.79	2.79	—	2.05	2.05
13	टेलीफोन पर व्यय	—	4.16	4.16	—	5.45	5.45	—	5.95	5.95	—	5.45	5.45
14	मोटर गाड़ियों का क्रय	—	6.50	6.50	—	50.00	50.00	—	50.00	50.00	—	50.00	50.00
15	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/ पेट्रोल क्रय	—	27.64	27.64	—	27.50	27.50	—	27.50	27.50	—	27.25	27.25
16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	—	1.40	1.40	—	3.00	3.00	—	3.00	3.00	—	3.00	3.00
17	किराया/ उपशुल्क/ कर	—	15.36	15.36	—	25.06	25.06	—	25.06	25.06	—	25.06	25.06
18	प्रकाशन	—	0.62	0.62	—	0.40	0.40	—	0.40	0.40	—	0.35	0.35
19	विज्ञापन/विख्यापन	-	0.00	0.00	—	30.30	30.30	—	30.30	30.30	—	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	सहायता अनुदान –सामान्य (गैर वेतन)	–	20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00		20.00	20.00
27	सब्सिडी	2644.10	–	2644.10	3391.00	–	3391.00	3585.10	–	3585.10	1116.00	–	1116.00
29	अनुरक्षण	–	15.00	15.00	–	16.00	16.00	–	16.00	16.00	–	11.00	11.00
31	सहायता अनुदान – सामान्य वेतन	–	429.32	429.32	–	500.00	500.00	–	500.00	500.00	–	515.00	515.00
35	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000.00	–	1000.0
39	औषधि तथा रसायन	–	3.46	3.46	1.69	3.50	5.19	1.69	3.50	5.19	1.69	3.50	5.19
42	.अन्य व्यय	19.56	0.34	19.90	423.64	0.10	423.74	423.64	1.00	424.64	23.64	1.00	24.64
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	–	–	–	25.58	–	25.58	25.58	–	25.58	25.58	–	25.58
44	प्रशिक्षण व्यय	–	5.04	5.04	–	2.51	2.51	–	2.51	2.51	–	1.76	1.76
45	अवकाश यात्रा व्यय	–	0.42	0.42	–	0.85	0.85	–	0.85	0.85	–	0.60	0.60
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	–	4.49	4.49	–	3.00	3.00	–	3.00	3.00	–	1.50	1.50
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ स्टेशनरी क्रय	–	3.72	3.72	–	3.60	3.60	–	3.60	3.60	3.00	3.10	6.10
48	पूॅजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	चिकित्सा व्यय	–	48.72	48.72	–	43.00	43.00	–	44.50	44.50	–	48.50	48.50
50	मंहगाई वेतन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	वर्दी व्यय	–	0.43	0.43	–	0.70	0.70	–	0.70	0.70	–	0.70	0.70
	कुल योग–मतदेय	**2675.77**	**4586.66**	**7262.43**	**3944.96**	**6287.62**	**10232.58**	**4136.77**	**5752.65**	**9889.42**	**2295.96**	**6799.04**	**9095.00**
	भारित	**–**	**–**	**–**	**–**	**4.50**	**4.50**	**–**	**4.50**	**4.50**	**–**	**4.50**	**4.50**

तालिका (ग)

वित्तीय साधनों के स्रोत (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या/ मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2014–15			आय व्ययक अनुमान 2015–16			पुनरीक्षित अनुमान 2015–16			आय व्ययक अनुमान 2016–17		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	17/2405 मछली पालन	2675.77	4586.66	7262.43	3944.96	6287.62	10232.58	4136.77	5752.65	9889.42	2295.96	6799.04	9095.00
	योग– मतदेय	2675.77	4586.66	7262.43	3944.96	6287.62	10232.58	4136.77	5752.65	9889.42	2295.96	6799.04	9095.00
	भारित	–	–	–	–	4.50	4.50	–	4.50	4.50	–	4.50	4.50

तालिका अ

वर्ष 2014—15 से वर्ष 2015— 16 तक आयोजनागत व्यय तथा वर्ष 2016—17 के आय व्ययक अनुमान का विवरण

(रू0 लाख में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2014—15	आय व्ययक अनुमान 2015—16	पुनरीक्षित अनुमान 2015—16	आय व्ययक अनुमान 2016—17
1	2	3	4	5	6
1. 1.1	**101.— अन्तर्देशीय मछली पालन** नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैंचिंग) केन्द्र पुरो0योजना	—	2.00	2.00	2.00
1.2	राष्ट्रीय मत्स्यकीय विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम (एन0एफ0डी0बी0)	—	100.00	100.00	100.00
1.3	मोबाईल फिश पार्लर	126.51	16.50	16.50	16.50
1.4	जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण	277.01	200.00	200.00	200.00
1.5	झींगा पालन	9.25	10.00	10.00	10.00
1.6	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ीकरण	—	43.87	43.87	43.87
1.7	तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास	—	—	—	187.50
2.	109— विस्तार एवं प्रशिक्षण	—	—	—	—
3.	**190—सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता** —मत्स्य पालक विकास अभिकरण — सामान्य (जिलायोजना)	266.67	1000.00	1000.00	600.00
4 4.1	**800.अन्य व्यय** मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना केन्द्र पुरो0 योजना	19.56	20.27	20.27	20.27
4.2	नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड की योजना (मछुआ आवास)	1964.66	2062.50	2062.50	—
4.3	मछुआ आवासों में सोलर लाइट की व्यवस्था	—	—	194.1	—
4.4	डाटा बेस इन्फार्मेशन एवं नेटवर्किंग फार दि फिशरीज सेक्टर योजना (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित)	12.11	489.82	487.53	115.82
4.5	मछुआ आवास योजना पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**—**	**—**	**—**	**1000.00**
	योग 17/2405	**2675.77**	**3944.96**	**4136.77**	**2295.96**
	कुल योग	**2675.77**	**3944.96**	**4136.77**	**2295.96**
5 अ	**अनुदान संख्या 81/2405 ट्राइबल सब प्लान**	**—**	**—**	**—**	**—**
5 ब	**अनुदान संख्या 83/2405 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान**	**—**	**0.01**	**0.01**	**0.01**

तृतीय भाग

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

(क)–*आयोजनेत्तर पक्ष*

1. **001.निदेशन तथा प्रशासन**

03.अधिष्ठान

मत्स्य विभाग के प्रशासनिक कार्यो एवं आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रदेश के मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक मत्स्य का एक पद सृजित हैं तथा प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन हेतु पी0सी0एस0 संवर्ग का एक संयुक्त निदेशक का पद सृजित है विभाग के तकनीकी कार्यो की देखरेख हेतु एक संयुक्त निदेशक मत्स्य का पद सृजित है जिनके द्वारा नियोजन, सहकारिता व सांख्यिकीय कार्यो की देखरेख की जाती है। इसके अतिरिक्त सहकारिता के कार्यो के लिए उप निदेशक मत्स्य (सहकारिता), सांख्यिकीय कार्यो की देख–रेख हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मत्स्य प्रक्षेत्रों के निर्माण तथा उसके रख–रखाव एवं भवनों के अनुरक्षण हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ के एक–एक पद सृजित है। लेखा तथा आडिट कार्यो हेतु वित्त एवं लेखा संवर्ग के एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा तीन सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित हैं।

वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मदों पर रू0 766.89 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2015–16 में रू0 1082.20 लाख का प्रावधान हुआ है तथा वर्ष 2016–17 में रू0 1113.45 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

2. 109. विस्तार तथा प्रशिक्षण :–

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए योजनाओं के विस्तार के साथ–साथ दक्ष अधिकारी/कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधुनिकतम ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु चयनित कर प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाता है। प्रशिक्षण की यह संस्थायें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), पंतनगर (उत्तराखंड) में हैं। प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य व्ययों हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 0.01 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2016–17 में रू0 0.01 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है ।

3–190– सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता–

यह योजना प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन कार्य को प्रोत्साहित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का व्यय राज्य सरकार द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष से वहन किया जाता है।

वर्ष 2014–15 में रू0 449.32 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2015–16 में रू0 520.00 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2016–17 में रू0 535.00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

4. 800. अन्य व्यय

4.1 03. अनुसंधान–सामान्य

मत्स्य विभाग की यह योजना सबसे बड़ी है । विभाग में निहित तालाबों, झीलों, जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अनुसंधान अधिकारी (उत्प्रेरित प्रजनन) तथा एक अनुसंधान अधिकारी (रसायन) का पद है । इनके कार्यो में सहयोग हेतु ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक तथा मत्स्य विकास अधिकारी कार्यरत हैं । मुख्यालय पर एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा मण्डल स्तर पर 11 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनके द्वारा तालाबों की मिट्टी व पानी के नमूनों की जॉच का कार्य निशुल्क सम्पादित किया जाता है तथा मत्स्य पालकों को तकनीकी परामर्श दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के मद में वर्ष 2014–15 में रू0 3250.75 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2015–16 में रू0 4559.99 लाख का बजट स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2016–17 के लिए रू0 5014.45 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

4.2. 04. प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना

प्रदेश के जनपद अम्बेडकरनगर, मऊ, सोनभद्र, भदोही, फिरोजाबाद, सिद्वार्थनगर महराजगंज एवं कुशीनगर तथा कानपुर व आजमगढ़ मण्डल के कार्यालयों की स्थापना ग्रामीण अंचलों के तालाबों में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने व मत्स्य उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से की गयी है । योजनान्तर्गत स्वीकृत स्टाफ के वेतन–भत्तों आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजना के अन्तर्गत रू0 104.15 लाख का व्यय किया गया । वर्ष 2015–16 में रू0 116.57 लाख का बजट स्वीकृत है तथा वर्ष 2016–17 के लिए रू0 128.38 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है ।

4.3. 05–राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालनः

प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रशिक्षण देने के उदेदश्य से केन्द्र द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया है,जिसके संचालन पर वर्ष 2014–15 में रू0 12.09 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2015–16 रू0 5.35 लाख का बजट स्वीकृत है तथा वर्ष 2016–17 के लिए रू0 4.25 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

4.4. 11–प्रयोगशालाओं का सुद्धढ़ीकरण योजनाः–

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में रू0 3.46 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 3.50 लाख स्वीकृत है। वर्ष 2016–17 में रू0 3.50 लाख प्रस्तावित है।

(ख)–आयोजनागत पक्ष

1– 101. अन्तर्देशीय मछली पालन

1.1 नदियों में मत्स्य अंगुलिका संचय (रिवर रैंचिग) :–

नदियो में बढ़ते जल–प्रदूषण के कारण प्राकृतिक मत्स्य संपदा के निरन्तर ह्रास के दृष्टिगत प्रदेश की प्रमुख नदियों के चयनित भागों में व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय मेजर कार्प मछलियों यथा कतला, रोहू, नैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 75:25 प्रतिशत सहयोग से वर्ष 2008–09 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 2.00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है, जिससे रू0 2.00 लाख के बड़े आकार के मत्स्य बीज का प्रमुख नदियों में संचय सुनिश्चित किया जायेगा।

1.2–राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम :–

तालाबों, जलाशयों एवं झीलों को मत्स्य पालन योग्य विकसित करने हेतु राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अनुमन्य अनुदान की धनराशि का 40 प्रतिशत बोर्ड द्वारा एवं 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत बोर्ड को 60 प्रतिशत राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यांश के रूप में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्रावधान कराया गया था, जिससे व्यय किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के लिए बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष्य 60 प्रतिशत राज्यांश की अदायगी हेतु रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे आवश्यकतानुसार मण्डलों में थोक एवं फुटकर मछली मण्डियों एवं मत्स्य हाटों की स्थापना कराई जाएगी तथा मूल्य वर्धित मत्स्य उत्पादों एवं सजावटी रंगीन मछलियों के उत्पादन एवं बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.3– मोबाइल फिश पार्लर योजना

राज्य सरकार के शत–प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित मोबाइल फिश पार्लर (सचल मत्स्य एवं मत्स्य व्यंजन बिक्री केन्द्र) की योजना के अन्तर्गत बाहरी क्षेत्र में मछलियों से बने विभिन्न व्यंजनों को तैयार करके उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में अनुदान की सहायता से योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 16.50 लाख की धनराशि से 10 मोबाईल फिश पार्लर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी 10 मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु रू0 16.50 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

1.4–जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजनाः –

जल प्लावन के फलरूवरूप निष्प्रयोज्य हुई अकृषक भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रमो को बढ़ावा दिये जाने की इस योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत रू0 1.25 लाख प्रति हे0 के सापेक्ष्य सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तथा अनु0जाति / अनु0जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा

अनुमन्य करायी जाती है। वर्ष 2015–16 में रू0 200.00 लाख आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह जनवरी 2016 तक रू0 88.84 लाख का व्यय मत्स्य पालन हेतु किया गया। वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए रू0 200.00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

1.5– झींगा पालन योजना :

राज्य सरकार के शत–प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित इस योजना के अन्तर्गत मीठे पानी में महाझींगा पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014–15 में 9.25 हेक्टेयर जलक्षेत्र में महाझींगा पालन हेतु रू0 9.25 लाख की धनराशि का व्यय किया गया। इस धनराशि से 0.5 हेक्टेयर की कुल 20 इकाईयों के लिए वाह्य प्रदेशों से आयातित झींगा बीज तथा फॉरमुलेटेड फीड की कुल लागत रू0 10.00 लाख पर 50 प्रतिशत की दर से संबंधित मत्स्य पालकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु रू0 10.00 लाख का आय–व्ययक कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत 20.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र के आच्छादन हेतु रू0 10.00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

1.6– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरणः–

वर्ष 2015–16 में प्रदेश में संचालित मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 43.87 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जिसमें मजदूरी, विद्युत, औषधि तथा रसायन, सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा अन्य व्यय आदि मदों में माह जनवरी 2016 तक रू0 22.64 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए रू0 43.87 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

1.7– तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकासः–

नवीन योजना के रूप में वर्ष 2016–17 में प्रदेश के तालाबों की मत्स्य क्षमता का विकास कराये जाने हेतु तालाबों के 10 प्रतिशत जलक्षेत्र पर नर्सरियों का निर्माण कराते हुए गुंणवत्तायुक्त बड़े आकार की मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत रू0 187.50 लाख का आय व्ययक प्रस्तावित है।

2. 109. विस्तार एवं प्रशिक्षणः–

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 80:20 वित्त पोषण से संचालित इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार मत्स्य पालकों के तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु 10 दिवसीय उच्चीकृत प्रशिक्षण की सुविधा अनुमन्य कराई जाती है। वर्ष 2013–14 में 1000 मत्स्य पालकों को उच्चीकृत तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 28.00 लाख का आय–व्ययक प्रावधान था। भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना बन्द कर दिये जाने के कारण वर्ष 2014–15 व 2015–16 में धनराशि प्रस्तावित नही की गयी थी। वर्ष 2016–17 के लिए धनराशि प्रस्तावित नही की जा रही है।

3. 190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

0101.मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को सहायता (जिलायोजना)–ग्रामीण अंचलों में मत्स्य पालन कार्य को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अभिकरणों की स्थापना कराई गयी है, जिसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित पात्रता क्रम में तालाबों का आवंटन कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार एवं अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75 : 25 वित्त पोषण से चलायी जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक तालाबों के सुधार तथा निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेश हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 1000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया। वर्ष 2016–17 में रु0 600.00 लाख आय–व्ययक प्रस्तावित है।

4– 800. अन्य व्यय

4.1. मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 वित्त पोषण से संचालित इस योजनान्तर्गत मत्स्य आखेट एवं मत्स्य पालन में मछुओं का कार्य जोखिम भरा होने के कारण सहकारी समितियों के सदस्यों एवं सक्रिय मत्स्य पालकों का बीमा कराये जाने की व्यवस्था है। यह योजना वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2015–16 हेतु बीमा प्रीमियम रू0 20.34 प्रति व्यक्ति निर्धारित है, जिसके सापेक्ष्य रू0 10.17 प्रति व्यक्ति राज्य सरकार तथा रू0 10.17 प्रति व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजना में आच्छादित व्यक्तियों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रू0 2.00 लाख तथा स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1.00 लाख बीमित धनराशि के भुगतान किये जाने की व्यवस्था बीमा कम्पनी के माध्यम से करायी जायेगी। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अन्तर्गत 1.93 लाख व्यक्तियों के आच्छादन हेतु रू0 19.55 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए रू0 20.27 लाख का प्रावधान 2.0 लाख समिति के सदस्यो/सक्रिय मत्स्य पालकों के बीमा के लिए प्रस्तावित किया गया है।

4.2. नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड (मछुआ आवास) की योजना :–

प्रदेश में यह योजना भारत सरकार की सहायता से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मछुआ बाहुल्य ग्रामों में आवास विहीन मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को लोहिया आवास की भॉति मछुआ आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015–16 के 750 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार से केन्द्रांश न प्राप्त होने के कारण इसे अन्य संसाधनों से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई भी धनराशि न अवमुक्त किये जाने के कारण संदर्भित योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए कोई भी आय–व्ययक प्रस्तावित नहीं है।

4.3. मछुआ आवासो में सोलर लाइट की व्यवस्था :–

वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अभी तक कोई भी धनराशि न अवमुक्त किये जाने के कारण संदर्भित योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए कोई भी आय–व्ययक प्रस्तावित नहीं है।

4.4 <u>डाटा बेस एवं नेटवर्किंग इन्फार्मेशन फार द फिशरीज सेक्टर योजना :</u>

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत सहयोग से 11वीं0 पंचवर्षीय योजना काल से चलायी जा रही है, जिसका मुख्य उद्‌देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्रों से उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादकता का अनुमान लगाया जाना है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध जल संशाधनों यथा तालाबों, पोखरों, झीलों एवं जलाशयों आदि जल प्रणालियों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के वार्षिक आंकड़ों के संकलन हेतु मण्डल/ जनपद स्तर पर कर्मचारियों को नामित कर उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) द्वारा प्रदेश के चयनित जनपदों में जी0आई0एस0 मैपिंग कर आंकड़ों का संकलन किया जायेगा, जिसके आधार पर प्रदेश स्तर पर जल संसाधन,मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़ों का आंकलन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के संचालन हेतु वर्ष 2015–16 में रू0 489.82 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए रू 114.50 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है, जिससे सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में रखे जाने वाले एक–एक सर्वेक्षण कर्ताओं को देय पारिश्रमिक की धनराशि भी सम्मिलित है।

4.5. <u>मछुआ आवासो का निर्माण</u> :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में शत प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से संचालित किये जाने के लिए मछुआ आवास योजना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में रू0 1000. 00 लाख का आय–व्ययक प्रस्तावित है।

5–अ– <u>अनुदान संख्या 81</u>

<u>ट्राइबल सब प्लान :–</u>

मत्स्य पालक विकास अभिकरण की योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से इस योजनान्तर्गत अलग से धनराशि मात्राकृत की जाती है, जिससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सीधे योजना का लाभ मिल सके । योजनान्तर्गत पूर्वगत वर्षो की अवशेष धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 में आय–व्ययक प्रावधान नहीं कराया गया है तथा वर्ष 2016–17 में पूर्वगत अवशेष के पूर्ण उपयोग के दृष्टिगत आय–व्ययक प्रस्तावित नहीं है।

5–ब– <u>अनुदान संख्या 83</u> <u>अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट योजना :–</u>

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भागीदारी मत्स्य पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अलग से धनराशि मात्राकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत तालाबों के सुधार/ निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेश हेतु क्रमशः रू0 0.75 लाख, रू0 3.00 लाख एवं रू0 0.50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से स्वीकृत बैंक ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में पूर्वगत वर्षो की अवशेष धनराशि के उपयोग के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 में रू0 0.01 लाख का आय–व्ययक प्रावधान कराया गया था। वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत रू0 0.01 लाख का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है।

तालिका (ब)
योजनावार गत तीन वर्षो का परिव्यय एवं व्यय का विवरण

(रू0 लाख में)

कं0 सं0	योजना का नाम	2013–14		2014–15		2015–16	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय (माह जनवरी, 2016 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	रिवर रैचिंग	0.50	0.50	0.50	–	0.50	–
1.2	नई हैचरियों की स्थापना/मत्स्य प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण	–	–	0.00	–	0.00	–
1.3	एन0एफ0डी0बी0	500.00	1.72	355.625	–	100.00	–
1.4	मोबाइल फिश पार्लर	16.50	18.08	136.95	126.51	16.50	9.25
1.5	कैट मत्स्य पालन	5.00	4.50	0.00	–	0.00	–
1.6	जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन	300.00	285.71	300.00	277.01	214.63	88.84
1.7	झींगा पालन	5.00	5.00	10.00	9.25	10.00	3.80
2	विस्तार तथा प्रशिक्षण (केन्द्रीय योजना)	5.60	–	–	–	–	–
3	नई योजनाये	–	–	–	–	–	–
4अ	मत्स्य पालक विकास अभिकरण सामान्य (जिला योजना)	264.00	116.75	200.00	66.667	250.00	96.98
5.1	मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना	18.85	18.85	43.875	19.56	20.27	19.55
5.2	नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फण्ड की योजना	500.00	199.80	1693.35	1687.58	1249.23	36.00
5.3	डाटा बेस ज्योग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम फार द फिशरीज सेक्टर (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित)	–	1.40	–	–	–	–
5.4	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	–	–	–	–	43.87	22.64
	योग	1615.45	652.31	2743.30	2186.577	1905.00	277.06

परिशिष्ट–1

मत्स्य विभाग का वर्ष 2013–2014, 2014–2015 एवं 2015–16 का वैयक्तिक सारॉश

स्वीकृत पद

क्र0सं0	पदनाम	2013–14	2014–15	2015–16
1	2	3	4	5
अ–	**राजपत्रित**			
1.	निदेशक मत्स्य	1	1	1
2.	संयुक्त निदेशक मत्स्य	1	1	1
3.	संयुक्त निदेशक पी0सी0एस0कैडर	1	1	1
4.	उप निदेशक मत्स्य सह0	1	1	1
5	उप निदेशक मत्स्य	19	19	19
6	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	1
7	सहायक निदेशक मत्स्य / अनु0अधि0 (उत्प्रे0प्रज0)	49	49	49
8	अनुसंधान अधिकारी रसायन	1	1	1
9	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1	1	1
10	सहायक निदेशक सांख्यिकीय	1	1	1
11	मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ	1	1	1
12	सहायक लेखाधिकारी	3	3	3
13	वैयक्तिक सहायक	1	1	1
14	व्याख्याता	1	1	1
15	रसायनविद	1	1	1
16	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1
17	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	15	15	15
ब–	**अराजपत्रित**			
18	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19	19	19
19	क्षेत्रीय अधिकारी सांख्यिकीय	–	–	–
20	अन्य –अराजपत्रित कर्मचारी	1184	1184	1184
21	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	809	809	809
	योग	**2111**	**2111**	**2111**

परिशिष्ट – 2

प्रधान कार्यालय

मत्स्य विभाग का प्रशासनिक ढांचा (राजपत्रित)

प्रधान कार्यालय स्तर पर

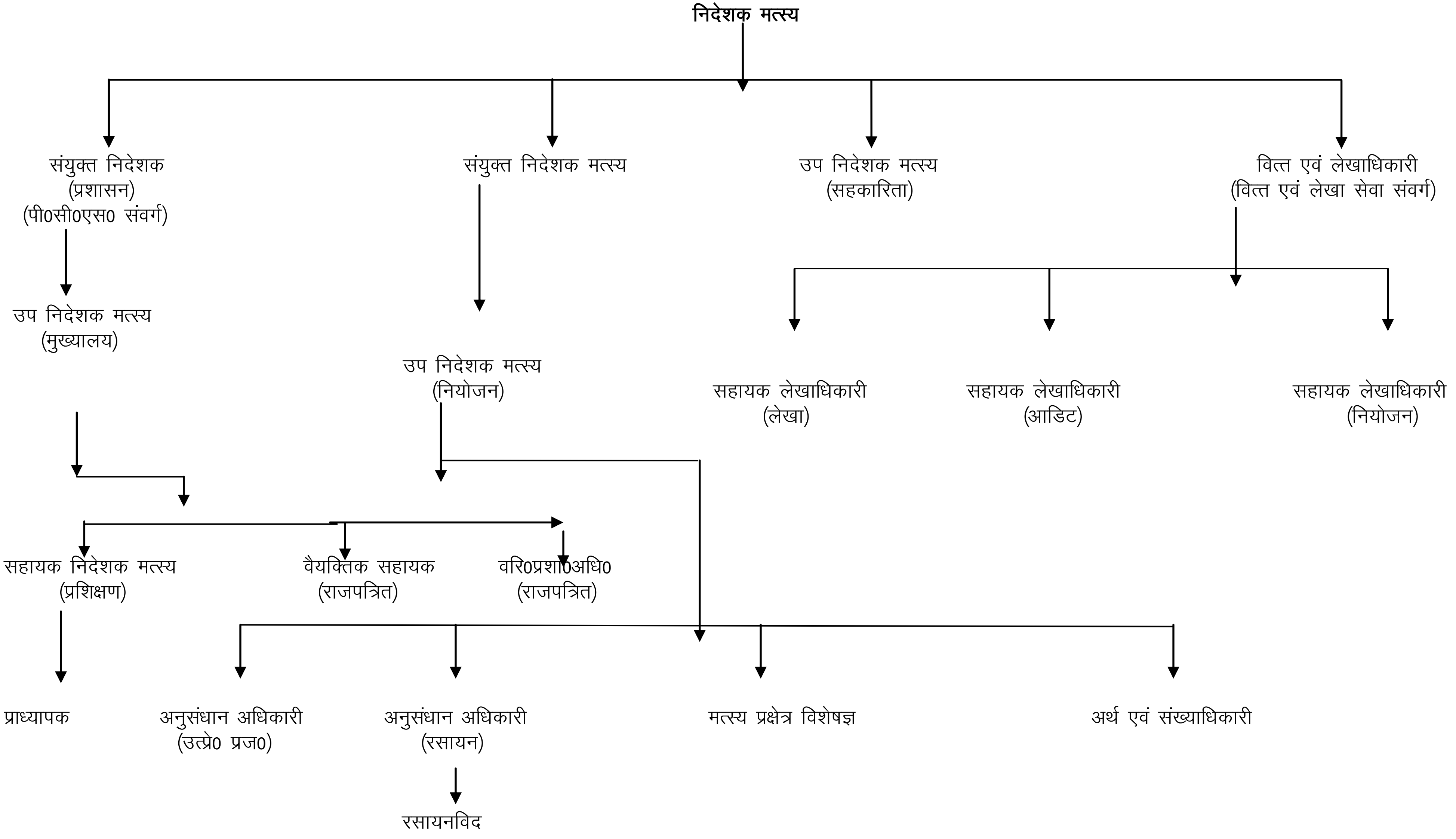

परिशिष्ट – 3

2. मण्डल स्तर पर																	
उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0		उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0		उ0नि0म0	उ0नि0म0		उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0	उ0नि0म0
सहारनपुर	मिर्जापुर	लखनऊ	फैजाबाद	देवीपाटन	वाराणसी	आजमगढ़	इलाहाबाद	झाँसी	चित्रकूट धाम	मेरठ	आगरा	अलीगढ़	कानपुर	बस्ती	मुरादाबाद	गोरखपुर	बरेली
3. जनपद स्तर पर																	
स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0	स0नि0म0
मुजफ्फर नगर	संत रविदासनगर	सीतापुर	अम्बेडकर नगर	बलरामपुर	चन्दौली	मऊ	फतेहपुर	झाँसी	बांदा	गाजियाबाद	आगरा	अलीगढ़	कानपुर	सिद्धार्थ नगर	मुरादाबाद	कुशीनगर	बरेली
सहारनपुर	मिर्जापुर	लखीमपुर – खीरी	अमेठी	बहराइच			कौशाम्बी	ललितपुर	चित्रकूट	बुलन्द शहर	मैनपुरी	हाथरस	इटावा	संत कबीर नगर	बिजनौर	महराजगंज	पीलीभीत
शामली	सोनभद्र	हरदोई		श्रावस्ती				जालौन	हमीरपुर	गौतमबुद्ध नगर	फिरोजाबाद	एटा	फर्रुखाबाद		रामपुर		शाहजहांपुर
	रिहन्द								महोबा	हापुड	मथुरा	कासगंज	कानपुर देहात		ज्योतिबाफूले नगर		
															संभल		
		मु0का0अ0	मु0का0अ0	मु0का0अ0	मु0का0अ0	मु0का0अ0	मु0का0अ0			मु0का0अ0				मु0का0अ0		मु0का0अ0	मु0का0अ0
		लखनऊ	फैजाबाद	गोण्डा	वाराणसी	आजमगढ़	इलाहाबाद			मेरठ				बस्ती		गोरखपुर	बदायूँ
		उन्नाव	सुल्तानपुर		गाजीपुर	बलिया	प्रतापगढ़									देवरिया	
		रायबरेली	बाराबंकी		जौनपुर												

कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक ,2015

कार्यालय आदेश

सचिव वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–सी0ए0–621/दस–2012–2(1)/07 दिनांक 22 मई 2012 एवं सी0ए0–1299/दस–2010–2(1)/07 दिनांक 15 नवम्बर 2010 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 का परफारमेंस बजट तैयार किये जाने हेतु ''वर्किंग ग्रुप'' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित अधिकारी सदस्य होगें।

1–श्री एस0के0सिंह,संयुक्त निदेशक मत्स्य	अध्यक्ष
2–डा0 नुरूल हक,उप निदेशक मत्स्य(नि0)	सदस्य
3–श्री मानवेन्द्र सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
4–डा0 सुषमा रानी शर्मा, अनुसंधान अधिकारी(उत्प्रे0प्रज0)	सदस्य
5–डा0 हरेन्द्र प्रसाद,सहायक निदेशक मत्स्य	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0 शासन के उक्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2010 की अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु परफार्मेंस बजट तैयार कर दो दिन के अन्दर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(पुष्पा सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री एस0के0सिंह,संयुक्त निदेशक मत्स्य ।

2–डा0 नुरूल हक,उप निदेशक मत्स्य(नि0) ।

3–श्री मानवेन्द्र सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी।

4–डा0 सुषमा रानी शर्मा, अनुसंधान अधिकारी(उत्प्रे0प्रज0) ।

5–डा0 हरेन्द्र प्रसाद,सहायक निदेशक मत्स्य ।

6–प्रमुख सचिव,मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति					
क्र0सं0	योजना का नाम	प्रस्ताव तैयार करने की तिथि	शासन को प्रस्ताव प्रेषण की तिथि	शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	**001–निदेशन तथा प्रशासन**	02.04.2013	02.04.2013	09.04.2013	—
2	**109–विस्तार तथा प्रशिक्षण**	02.04.2013	02.04.2013	09.04.2013	—
3	**800–अन्य व्यय** 03–अनुसंधान सामान्य 04–प्रादे0म0पा0वि0अभि0 की स्थापना 05–राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	 02.04.2013 02.04.2013 15.05.2013	 02.04.2013 02.04.2013 15.05.2013	 09.04.2013 09.04.2013 —	 स्वीकृति अप्राप्त
4	**190–सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों की सहायता**	15.05.2013	15.05.2013	21.06.2013	—
5	**800–अन्य व्यय** **42–अन्य व्यय(भारित)**	23.10.2013	24.10.2013	—	दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को भुगतान (न्यायालय के आदेशों के कम में)8000–राज्य आकस्मिकता निधि से व्यवस्था हेतु प्रस्ताव
6	**800–अन्य व्यय** **03–अनुसंधान सामान्य**	17.12.2013	17.12.2013	—	पुर्नविनियोग प्रस्ताव टेलीफोन,वाहन एवं किराया मद में
7	**800–अन्य व्यय** **03–अनुसंधान सामान्य**	20.01.2014	22.01.2014	—	पुर्न विनियोग प्रस्ताव 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 शासन,लखनऊ

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2014–15 दिनांक जून,2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक अनुमान का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 16/ ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2014–15 दिनाक 03 जनवरी,2014 के कम में वर्ष 2014–15 के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक में वर्ष 2013–14 के सम्पूर्ण आकड़े समाहित करते हुए संशोधित आलेख संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यपूर्ति दिग्दर्शक अनुमोदन के उपरान्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विभागवार बजट चर्चा से पूर्व शासन की अपेक्षानुसार प्रतियां छपवाकर शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(डा0 पिंकी जोवल)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2016–17 दिनांक जनवरी,2016

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक अनुमान का प्रेषण।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यपूर्ति दिग्दर्शक अनुमोदन के उपरान्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे विभागवार बजट चर्चा से पूर्व शासन की अपेक्षानुसार प्रतियां छपवाकर शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नक–कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
आलेख वर्ष 2016–17

भवदीय,

(भरत लाल राय)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,
लखनऊ।

कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक ,2015

मेसर्स,

कमलेश आफसेट

गल्ला मण्डी,सीतापुर रोड

लखनऊ।

विषय– **कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 के मुद्रण के सम्बन्ध में।**

इस विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 (कवर सहित कुल 36 पृष्ठ) की प्रतियां मुद्रित कराया जाना है जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना मुहर बन्द कोटेशन दिनांक .... तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 नुरूल हक)
उप निदेशक मत्स्य(नि0)
कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

<u>कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ</u>

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक ,2015

मेसर्स,

नवीन प्रिन्टर्स

त्रिवेणी नगर,लखनऊ।

विषय– **<u>कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 के मुद्रण के सम्बन्ध में।</u>**

इस विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 (कवर सहित कुल 36 पृष्ठ) की प्रतियां मुद्रित कराया जाना है जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना मुहर बन्द कोटेशन दिनांक .... तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 नुरूल हक)

उप निदेशक मत्स्य(नि0)

कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक ,2015

मेसर्स,

अंशा ग्राफिक्स

डालीगंज, लखनऊ।

विषय– **कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 के मुद्रण के सम्बन्ध में।**

इस विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 (कवर सहित कुल 36 पृष्ठ) की प्रतियां मुद्रित कराया जाना है जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना मुहर बन्द कोटेशन दिनांक .... तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 नुरूल हक)
उप निदेशक मत्स्य(नि0)
कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

<u>कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ</u>

पत्रांकः /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक ,2015

मेसर्स,

विषय– **कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 के मुद्रण के सम्बन्ध में।**

इस विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2015–16 (कवर सहित कुल 36 पृष्ठ) की प्रतियां मुद्रित कराया जाना है जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना मुहर बन्द कोटेशन दिनांक .... तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 नुरूल हक)
उप निदेशक मत्स्य(नि0)
कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

<u>कार्यालय निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ</u>

पत्रांकः   /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2016–17   दिनांक   ,2016

मेसर्स,

अंशा ग्राफिक्स
डालीगंज, लखनऊ।

विषय– **<u>कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक 2016–17 के मुद्रण के सम्बन्ध में।</u>**

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 230 /ले0शा0/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक/2015–16 दिनांक 05.02.2016 के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 10.02.2015 की दर रू0 22:25 पैसे (5 प्रतिशत वैट कर सहित) प्रति पुस्तक स्वीकार कर ली गयी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत कार्यपूति दिग्दर्शक की 1500 प्रतियां मुद्रण एवं बांइडिंग कराकर इस कार्यालय को तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित बीजक दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

(भीष्मलाल वर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशा0)
कृते निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ

अधिकारियों से कर्मचारियों के विषय में प्राप्त सूचना का संक्षिप्त विवरण

क0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थता का जनपद	मण्डल	सस्तुति	अभ्युति
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

कृपया सचिव वित्त, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उ0प्र0, शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक–सी0ए0 621/दस–2012–2(1)/07 दिनांक 22 मई 2012 एवं पत्रांक 1299/दस–2010–2(1)/07 दिनांक नवम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशों केअनुरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक में विभागीय आंकड़ों/सूचनाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। विभागीय स्तर पर स्वयं से सम्बन्धित शाखाओं के सापेक्ष आंकड़ों एवं सूचनाओं को समाहित करते हुए कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आलेख तैयार किया गया है। आलेख में सम्मिलित आंकड़ों को गहन परीक्षण कर लिया गया जो सही है।

अतः उक्तानुसार तैयार कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2016–17 अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।